

दिनांक-10.06.2026 को ईखायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में पेराई वर्ष-2026-27 के लिए चीनी मिलों के लिये अपेक्षित ईख की मात्रा (NCR) से संबंधित विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पन्न बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :- संयुक्त ईखायुक्त/सभी क्षेत्रीय ईख पदाधिकारी/विशेष ईख पदाधिकारी/श्री कुमार कानन, ईख पदाधिकारी, सीवान/सभी सहायक निदेशक, ईख विकास/चीनी मिलों के प्रतिनिधि।

बैठक की कार्यवाही ईखायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

पेराई वर्ष-2026-27 के लिए चीनी मिलों के लिये अपेक्षित ईख की मात्रा (NCR) से संबंधित समीक्षा की गयी।

समीक्षा के क्रम में सिधवलिया, विष्णु एवं रीगा चीनी मिल को छोड़कर अन्य चीनी मिलों के संबंधित ईख पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपेक्षित ईख की मात्रा (NCR) से संबंधित अपने-अपने चीनी मिलों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर तीन दिनों के अन्दर अपनी अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायें।

चीनी मिल के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि अपने-अपने गन्ना क्षेत्र में वर्तमान में किये जा रहे नये तकनीक एवं उपचारों का विवरण/प्रतिवेदन तैयार कर विभाग को समर्पित करें।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।


(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

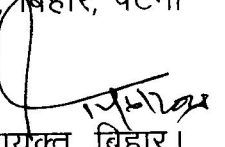
ज्ञापांक-02/रेगु०-02-800-04/2019-1078/ई०४०/पटना, दिनांक- 12 जून, 2026

प्रतिलिपि- ईख पदाधिकारी/सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक, ईख विकास/महाप्रबंधक, सभी कार्यरत चीनी मिलों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

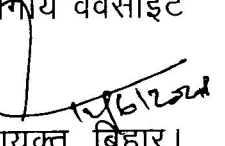
ज्ञापांक-02/रेगु०-02-800-04/2019-1078/ई०४०/पटना, दिनांक- 12 जून, 2026

प्रतिलिपि- सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-02/रेगु०-02-800-04/2019-1078/ई०४०/पटना, दिनांक- 12 जून, 2026

प्रतिलिपि-आई० टी० प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।